HP State Pollution Control Board
HIM Parivesh Bhawan, Phase-III, New Shimla-09
Phone No. 0177-2673766, 2673020 FAX-0177-2673018

No. HPSPCB/E-Waste (Management) Rules /22 **Dated______**

Public Notice

Whereas, the Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Govt. of India in exercise of the powers conferred by sections 6, 8 and 25 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) read with sub-rule (3) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986, and in supersession of the E-waste (Management)Rules, 2016, notified **E-Waste (Management) Rules, 2022** which have come into force from the **1st April, 2023.**

Whereas, these rules are applicable to every Manufacturer, Producer, Refurbisher and Recycler involved in manufacture, sale, repairing, assembling, recycling and reprocessing of e-waste or electrical and electronic equipment listed in Schedule-I.

Whereas, as per the rules, the entities who shall register on The E-Waste Management System Portal under E-Waste (Management) Rules, 2022 are (a) Manufacturer; (b) Producer; (c) Refurbisher; (d) Recycler. The said portal has been formulated by CPCB and the link for the portal is https://eprewastecpcb.in/#/

Whereas, as per Rule 5 (2), the Manufacturer shall collect e-waste generated during the manufacture of any electrical and electronic equipment and ensure its recycling or disposal.

Whereas, as per Rule 6 (2), the Producer shall obtain and implement Extended Producer Responsibility targets as per Schedule-III and Schedule-IV through the portal.

Whereas, as per Rule 7 (2), all Refurbishers shall collect e-waste generated during the process of refurbishing and hand over the waste to registered recycler and upload information on the portal.

Whereas, as per Rule 8, the Bulk Consumers of electrical and electronic equipment listed in Schedule I shall ensure that e-waste generated by them shall be handed over only to the registered producer, refurbisher or recycler.

Whereas, as per Rule 9, the Recyclers shall ensure that the facility and recycling processes are in accordance with the standards or guidelines laid down by the Central Pollution Control Board, and maintain record of e-waste collected, dismantled, recycled and sent to registered recycler on the portal.

Whereas, as per the Rule 13 (3) (i) of the rules, all Producers under E-Waste Management Rules, 2022 are required to fulfill their Extended Producer Responsibility (EPR) obligations assigned to them through online purchase of EPR Certificates from registered Recyclers only.

Whereas, as per the said rules, the Producers, Manufacturers, Refurbisher and Recycler shall file annual and quarterly returns in the laid down form on the portal on or before the end of the month succeeding the quarter or year, as the case may be, to which the return relates.

This is issued in greater interest of public and for strict compliance for the various provisions of E Waste (Management) Rules, 2022.

Signed by
Anil Joshi
Date: 14-05-2024 08:06:18

(Anil Joshi, IFS)
Member Secretary
HPSPCB, Shimla

HP State Pollution Control Board
HIM Parivesh Bhawan, Phase-III, New Shimla-09
Phone No. 0177-2673766, 2673020 FAX-0177-2673018

No. HPSPCB/E-Waste (Management) Rules /22
Dated______

सार्वजनिक नोटिस

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार ने पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 6, 8 और 25 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उप-नियम (3) के साथ पठित पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 और ई-अपशिष्ट (प्रबंधन) नियम, 2016 के अधिक्रमण में, ई-अपशिष्ट (प्रबंधन) नियम, 2022 को अधिसूचित किया गया जो 1 अप्रैल, 2023 से लागू हो गए हैं।

ये नियम अनुसूची-I में सूचीबद्ध इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के निर्माण, बिक्री, मरम्मत, संयोजन, रीसाइक्लिंग और पुनर्प्रसंस्करण में शामिल प्रत्येक विनिर्माता, उत्पादक, रीफर्बिशर और पुनः चक्रणकता पर लागू होते हैं।

नियमों के अनुसार, जो संस्थाएं ई-अपशिष्ट (प्रबंधन) नियम, 2022 के तहत ई-अपशिष्ट प्रबंधन प्रणाली पोर्टल पर पंजीकरण करेंगी, वे हैं (ए) विनिर्माता; (बी) उत्पादक; (सी) रीफर्बिशर; (डी) पुनः चक्रणकता । उक्त पोर्टल सीपीसीबी द्वारा तैयार किया गया है और पोर्टल का लिंक https://eprewastecpcb.in/#/ है।

नियम 5 (2) के अनुसार, विनिर्माता किसी भी विद्युत और इलेक्ट्रॉनिक उपकरण के निर्माण के दौरान उत्पन्न ई-कचरे को एकत्र करेगा और इसका पुनर्चक्रण या निपटान सुनिश्चित करेगा।

नियम 6(2) के अनुसार, उत्पादक पोर्टल के माध्यम से अनुसूची-III और अनुसूची-IV के अनुसार विस्तारित निर्माता उत्तरदायित्व लक्ष्य प्राप्त करेगा और लागू करेगा।

नियम 7 (2) के अनुसार, रिफर्बिशर्स को रिफर्बिशिंग की प्रक्रिया के दौरान उत्पन्न ई-कचरा एकत्र करना होगा और कचरे को पंजीकृत रिसाइक्लर को सौंपना होगा और पोर्टल पर जानकारी अपलोड करनी होगी।

नियम 8 के अनुसार, अनुसूची-1 में सूचीबद्ध इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के थोक उपभोक्ता यह सुनिश्चित करेंगे कि उनके द्वारा उत्पन्न ई-कचरा केवल पंजीकृत निर्माता, रिफर्बिशर या रिसाइक्लर को ही सौंपा जाए।

नियम 9 के अनुसार, पुनर्चक्रणकर्ताओं को यह सुनिश्चित करना होगा कि सुविधा और पुनर्चक्रण प्रक्रियाएं केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा निर्धारित मानकों या दिशानिर्देशों के अनुसार हैं, और ई-कचरे को एकत्रित , विघटित, पुनर्चक्रित और रजिस्ट्रीकृत पुनरचक्रकर्ता को भेजे गए ऑपजिष्टअपशिष्ट के रिकॉर्ड तो बनाये और पोर्टल पर अपलोड करें

नियमों के नियम 13 (3) (i) के अनुसार, ई-अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2022 के तहत सभी उत्पादकों को केवल पंजीकृत पुनर्चक्रणकर्ताओं से ईपीआर प्रमाणपत्रों की ऑनलाइन खरीद के माध्यम से उन्हें सौंपे गए विस्तारित निर्माता उत्तरदायित्व दायित्वों को पूरा करना आवश्यक है।

उक्त नियमों के अनुसार, विनिर्माता, उत्पादक, रीफर्बिशर और पुनः चक्रणकता पोर्टल पर अधिकथित प्ररूप या प्रपत्र में वार्षिक और तिमाही विवरणी उस तिमाही या वरह के बाद के महीने के अंत पर या उससे पहले जैसा भी मामला हो, फाइल करें जिससे विवरणी सम्बंदित है

इसे जनता के व्यापक हित में और ई अपशिष्ट (प्रबंधन) नियम, 2022 के विभिन्न प्रावधानों के सख्त अनुपालन के लिए जारी किया गया है।

Signed by
Anil Joshi
Date: 14-05-2024 08:04:30
(अनिल जोशी, आईएफएस)
सदस्य सचिव
एचपीएसपीसीबी, शिमला